	राजस्थान राज-नत्र विशेषांक	Regd. No. RJ 2539 RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधधकार प्रकाधशत	Published by Authority
	िैशाख 4,गुरुिार,शाके 1897 - अप्रैऱ 24,1975 Vaisakha 4, Thursday, Saka 1897- April 24, 1975	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डऱ के अधधधनयम

विधध विभाग

अधधसूचना

जयऩुर, अप्रैऱ 24, 1975

सांख्या ऩ. 2 (10)विधध 73.—राजस्थान राज्य विधान मण्डऱ का धनमनाांककत अधधधनयम जजसे राष्ट्रऩधत की अनुमधत कदनाांक 24 अप्रैऱ, 1975 को प्राप्त हुई, एतद द्वारा सिवसाधारण के सूचनाथव प्रकाधशत ककया जाता है:—

<u>राजस्थान ऩशु एिां ऩी बधऱ (धनषेध) अधधधनयम,</u> 1975

(अधधधनयम सांख्या 21 सन् 1975)

(राष्ट्रऩधत की अनुमधत कदनाांक 24 अप्रैऱ, 1975 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में मजददरों के अददर अथिा मजददर के ऩररसर में अथिा धाधमवक ऩूजा के साििजधनक स्थानों में ऩशुओां एिां ऩजंयों की बधऱ धनषेध ककए जाने हेतु अधधधनयम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डऱ द्वारा भारत गणराज्य के छब्बीसिें िषव में यह धनमनधऱजखत रूऩ से अधधधनयधमत हो:—

<u>1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ—</u> (1) यह अधधधनयम राजस्थान ऩशु एिां ऩी बधऱ (धनषेध) अधधधनयम, 1975 कहऱायेगा।

(2) इसका विस्तार समूचे राजस्थान राज्य ऩर होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रिृत्त होगा जो राज्य सरकार सरकारी राजऩत्र में अधधसूचना द्वारा धनयत करे।

<u>2. ऩररभाषाएँ—</u>इस अधधधनयम में, जब तक सददभव से अदयथा अऩेजंत न हो—

(क)'मजददर के ऩररसर' से अधभप्राय मजददर से समबद्ध कोई मण्डऩभिन तथा मजददर से समबद्ध भूधम जो साधारणतया मजददर में ऩूजा से समबदध ककसी भी प्रयोजन के धऱये काम में ऱी जाती हो , चाहे उक्त भूधम मजददर की समऩवत्त है अथिा नहीं है, तथा मजददर से समबद्ध भूधम का समऩूणव ंेत्र जजस ऩर मेऱा जुडता हो अथिा यात्रा की जाती हो, सजममधऱत है;

(ख) 'बधऱ' से अधभप्रेत है ककसी देिी देिता का प्रसदन करने के इरादे अथिा प्रयोजन से ककसी ऩशु अथिा ऩी का िध करना अथिा उसका अंगभांग ककया जाना;

(ग) 'मजददर' से अधभप्रेत ककसी भी नाम से से जानने योग्य ऐसे स्थान से हैजो साििजधनक धाधमवक ऩूजा-स्थऱ के धऱए काम में धऱया जा रहा हो और साििजधनक धाधमवक ऩूजा-स्थऱ के रूऩ में समवऩवत हो; तथा

(घ) धाधमवक ऩूजा का साििजधनक स्थान

' से जनता अथिा उसकी ककसी

अनुभाग द्वारा धाधमवक नूजा या भवक्त के प्रयोजन के उनयोग हेतु आशधयत या नहुांच का कोई स्थान अधभप्रेत है।

3. मक्षददर में अथिा मक्षददर के नररसर में अथिा धार्मिक नूजा के साििजर्नक स्थान में नशु अथिा नीी की बर्ऱ र्नषेध —ककसी भी मजददर में अथिा उसके नररसर में अथिा अदय धाधमवक नूजा के सािवजधनक स्थान में न तो कोई व्यवक्त ककसी भी नशु अथिा नीी की बधऱ देगा अथिा न ही ककसी को बधऱ देने में सहायता प्रदान करेगा।

4. बर्ऱ आदद कृत्यों का र्नषेध —कोई भी व्यवक्त ककसी मजददर अथिा उसकी नररसर में अथिा ककसी अदय धाधमवक नूजा के सािवजधनक स्थान के भीतर ककसी बधऱदान में,—

(क) नुरोकहती या नुरोकहती की प्रस्थानना, या

(ख) कोई काम या काम की प्रस्थानना, या

(ग) सेिा, सहायता या सहभाधगता अथिा सेिा , सहायता या सहभाधगता की प्रस्थानना,

नहीं करेगा।

5. मक्षददर का अथिा मक्षददर के नररसर अथिा अदय धार्मिक नूजा के <u>साििजर्नक स्थान का बर्ऱ के र्ऱये र्नषेध</u>—कोई भी व्यवक्त जानबूझ कर ककसी भी ऐसा स्थान नर बधऱ का कायव नहीं धनिाहने देगा जो—

(क) ककसी मजददर अथिा उसके नररसर अथिा अदय धाधमवक नूजा के सािवजधनक स्थान में अिजस्थत हो, और

(ख) उसके अधधकार में अथिा उसके धनयदत्रण में है।

<u>6. दण्ड</u>—(1) जो कोई इस अधधधनयम की धारा 3 के प्राििधानों का उल्ऱांघन करेगा अथिा उल्ऱांघन ककये जाने के धऱये सहायता अथिा दुष्प्रेरण करेगा, अनराधी ठहराये जाने नर 6 माह तक की जेऱ अथिा रुनये 500/- तक का जुमावना अथिा दोनों से एक साथ दजण्डत ककया जा सकेगा।

(2) जो कोई अधधधनयम की धारा 4 अथिा धारा 5 के प्राििधानों का उल्ऱांघन करेगा, प्रथिा उल्ऱांघन ककये जाने में सहायता प्रदान करेगा , अथिा दुष्प्रेरण करेगा अनराधी ठहराने जाने नर 3 माह तक की जेऱ अथिा रूनने 300/- तक के जुमावनें अथिा दोनों से एक साथ दजण्डत ककया जा सकेगा।

<u>7. अनराधों की सुनिाई:—</u>इस अधधधनयम के अदतगवत आने िाऱे की सुनिाई प्रथम श्रेणी के दयाधयक मजजस्रेट द्वारा की जाििेगी।

<u>8. र्नषेधाज्ञा जारी दकया जाना</u>— (1) यकद कायव-नाऱक मजजस्रेट का ककसी नररिाद अथिा अदय सूचना प्राप्त होने नर यह समाधान हो जाता है कक इस अधधधनयम के उनबदधों का उल्ऱांघन ककया जाकर बधऱ द्वारा अनुष्ठान ककया जाने िाऱा है, तो िह व्यिस्था करने िाऱे अथिा अनुष्ठान करने िाऱे एिं इससे समबद्ध व्यवक्तयों के विरूद्ध इस प्रकार बधऱ के कृत्य ककये जाने को धनवषद्ध करने हेतु धनषेधाज्ञा जारी कर सकेगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए भी कक उन-धारा (1) के अदतगवत उसके विरूद्ध धनषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है, धनषेधाज्ञा की अिज्ञा करेगा, अनराधी ठहराये जाने नर या तो एक िषव तक की जेऱ अथिा 1000/- रूनये तक जुमावना अथिा दोनो से दजण्डत ककया जा सकेगा।

9. नषेधात्मक आदेश ऱागू करने या कोई र्शकायत दाक्षिऱ करने के ऱ्ये नुऱ्रस थाने के भारसाधक का कतिव्य:— (1) यह सूचना प्राप्त होने ऩर कक बधऱदान का प्रबदध ककया गया है या ककया जाने िाऱा हैविश्वास नहीं करने के यथोधचत आधार नहीं हो , जब तक दी गई सूचना ऩर , जजदहें ऱेखबद्ध ककया जायेगा, नुधऱस थाने भारसाधक अधधकारी इस अधधधनयम के उऩबांधों के उल्ऱांघन में जहां बधऱदान ककया जाने िाऱा हो िहां के कायव-ऩाऱक मजजस्ट्रेट को धारा 8 के अधीन प्रधतषेधात्मक आदेश प्राप्त करने के धऱये आिेदन करेगा।

(2) िह सूचना प्राप्त होने ऩर कक इसे अधधधनयम के अधीन कोई अऩराध ककया गया हैं, नुधऱस थाने के भारसाधक अधधकारी जब तक दी गई सूचना ऩर विश्वास नहीं करने के यथोधचत आधार नहीं हो जजदहें ऱेखबद्ध ककया जायेगा , ऐसे अऩराधों के विचारण की अधध-काररता रखने िाऱे दयाधयक मजजस्ट्रेट के समं , यथा सांभि शीघ्र , धशकायत दाजखऱ करेगा।

समऩतराज धसांघी
शासन सधचि